म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/3/4/स्वीकृति/19/पी–3/पार्ट–6/1053   भोपाल दिनांक 06/11/2020

:: निविदा विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश में स्थित 259 कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगणों के लिये समय–समय पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली प्रतिष्ठित एजेन्सी से निविदा प्रपत्र की शर्तो के अंर्तगत ऑनलाईन निविदा टेंडर आईडी 2020_MPSAM_113324 आमंत्रित की जाती है। इच्छुक एजेन्सी निविदा फार्म दिनांक 07.11.2020 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 28.11.2020 तक अपरान्ह 05:30 बजे तक https://mptenders.gov.in से खरीद सकती है।

निविदा की शर्ते एवं नियम म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल में कार्यालयीन समय या वेबसाईट https://mptenders.gov.in एवं www.mpmandiboard.co.in पर देखे जा सकते है।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

मण्डी बोर्ड/मण्डी समितियों पांगणों में व्यवस्थाओं के लिये मानव संसाधन प्रदाय करने के लिए

निविदा फार्म

नम्बर..

कोमत–15000 रू0 प्रति कापी

(पन्द्रह हजार रूपये)

मण्डी बोर्ड/मण्डी समितियों के कार्यालय परिसर एवं प्रांगण में व्यवस्थाओं के लिये मानव संसाधन प्रदान करने हेतु निविदा प्रपत्र

(1) **कार्य का परिचय** :–

मण्डी बोर्ड/मध्यप्रदेश में स्थित 259 कृषि उपज मण्डी समितियों (निविदा प्रपत्र में इन्हे मंडी/मंडी समिति/अनुबंधकर्ता संस्था के नाम से संबोधित किया गया है) के प्रांगणों के लिये समय–समय पर मानव संसाधन प्रदाय कराने वाली प्रतिष्ठित एजेन्सी (निविदा प्रपत्र में इन्हे निविदाकार/ऐजन्सी के नाम से संबोधित किया गया है) से निविदा प्रपत्र की शर्तो के अंर्तगत ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।मण्डी बोर्ड/प्रदेश की मंडी समितियों को मानव संसाधन व्यवस्था के लिये अकुशल व कुशल कर्मियों की आवश्यकता पडती है जिसकी अनुमानित संख्या (लगभग 2000) **मण्डी बोर्ड/**मंडी समिति की कार्य की आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा होना संभावित होता है।

(2) **कार्य का प्रकार एवं विवरण** :–

1/ एजेन्सी को **मण्डी बोर्ड/**मण्डी समितियों की व्यवस्था हेतु शिफ्टों में कर्मियों को तैनात करने की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार करनी होगी।

2/ एजेन्सी का यह कर्तव्य होगा कि वह, **मण्डी बोर्ड/**मंडियों में कार्यरत कृत्यकारियों एवं कृषकों के हितो से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करेगी।

(3) **मण्डी बोर्ड/मण्डी समितियों में आवश्यक मानव संसाधन** :–

क0	पदनाम	पद संख्या	योग्यता
1	सुरक्षा अधिकारी	आवश्यकतानुसार	भूतपूर्व सैनिक जे0सी0ओ0 रैंक
2	गनमैन	आवश्यकतानुसार	जिसे बन्दूक का लायसेंस प्राप्त हो तथा बन्दूक स्वयं की हो।
3	गार्ड	आवश्यकतानुसार	पांचवीं पास एवं सुरक्षा कार्य से संबंधित अनुभव
4	कम्प्यूटर टायपिस्ट कम डाटा एन्टो आपरेटर	आवश्यकतानुसार	12 वी पास हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग कम से कम 35 शब्द प्रति मिनिट एवं कम्प्यूटर में एम.एस. आफिस की जानकारी
5	इलेक्टिशियन कम सहायक लाईनमेन	आवश्यकतानुसार	8 वीं पास एंव विद्युत सेफ्टी विभाग से इलेक्टिशियन कम सहायक लाईनमेन का सर्टिफिकेशन
6	अन्य मानव संसाधन	कार्यालय की आवश्यकतानुसार	निर्धारित योग्यता

(4) **<u>दरं</u>** :—

(4)(1) निविदाकार के द्वारा **''सेवा प्रभार''** की गणना में ई0एस0आई, ई0पी0एफ, सेवा प्रभार अथवा जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक अनिवार्य रूप से देय प्रभार को विचार में नही लिया जायेंगा तथा कर्मी को कुल देय वेतन (Gross Salary) जोकि जिला कलेक्टर के द्वारा निर्धरित दर होगी, पर होने वाले कुल मासिक भुगतान के आधार पर प्रतिशत के रूप में गणना की जायेंगी। निविदा दर अर्थात **''सेवा प्रभार''** संलग्न **BOQ** में अंकित कर ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है और यह इस निविदा की समस्त शर्तो के अधीन होगी।

(5) **शर्ते एवं नियम** :—

(5)(1) यह कि निविदाकार (निविदा प्रपत्र में इन्हे ''एजेंन्सी'' के नाम से संबोधित किया गया है) द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय अमानत राशि रू0 10,00,000/— (रूपये दस लाख मात्र) ऑनलाईन पोर्टल https://mptenders.gov.in पर जमा करना होगी तथा निविदा स्वीकृत होने के बाद रू0 1,50,00,000/— (रूपये एक करोड पचास लाख मात्र) की सुरक्षा निधि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी भोपाल स्थित शाखा पर भुगतान योग्य, बैंक गारंटी अनुबंध के समय अतिरिक्त रूप से जमा करानी होगी जिसकी की वैद्यता अवधि अनुबंध समाप्ति के एक वर्ष बाद तक होना अनिवार्य होगी।

(5)(2) निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल से रूपये 25000/— (पच्चीस हजार मात्र) के स्टाप पेपर पर **तीन वर्षो** के लिये अनुबंध करना होगा जिसकी अवधि संतोषजनक कार्य होने पर आपसी सहमति से अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अधीन अधिकतम एक वर्ष के लिये प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा वृद्धि की जा सकेगी। परन्तु निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल से अनुबंध नहीं करने की दशा में रू0 10,00,000/— (रूपये दस लाख मात्र) की निविदाकार की अमानत राशि मंडी बोर्ड द्वारा जप्त/राजसात कर ली जावेगी।

(5)(3) यह कि निविदा स्वीकृति उपरान्त एजेन्सी को संबंधित कृषि उपज **<u>मण्डी समिति/समितियों से भी रूपये 1000/— (एक हजार) के स्टाप पेपर पर</u> प्रथमतः तीन वर्ष** का अनुबंध संपादित करना होगा।जिसकी

अवधि संतोषजनक कार्य होने पर आपसी सहमति से अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अधीन अधिकतम एक वर्ष के लिये प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा बढाया जा सकेगा।

परन्तु, अनुबंधकर्ता संस्था (मंडी बोर्ड या मंडी समिति) के द्वारा, एजेन्सी के कार्य को संताषजनक नहीं पाये जाने पर, 3 (तीन) माह की पूर्व सूचना उपरांत, अनुबंध को समयावधि के पूर्व समाप्त किया जा सकता है।

(5)(4) एजेन्सी के द्वारा गनमैन को प्रदाय बन्दूक का लायसेंस, उसके स्वयं के नाम होने संबंधी प्रमाण स्वरूप, लायसेंस की सत्यापित छायप्रति अनुबंधकर्ता संस्था को देना होगी।

(5)(5) एजेन्सी के द्वारा प्रत्येक कर्मी का कार्य समय 8.00 घंटा होगा तथा शिफ्टों का निर्धारण एजेन्सी, मण्डी सचिव से चर्चा कर लिखित में प्राप्त निर्देशनुसार करेंगी।

(5)(6) पदस्थ कर्मी की छुट्टी एवं बीमारी की स्थिति में एजेन्सी को तत्काल नये कर्मी की व्यवस्था करनी होगी।

(5)(7) एजेन्सी अपने कर्मियों को वर्दी, मोजा, जूता, रेनकोट, गर्म जर्सी व बन्दूक, कारतूस, टार्च सेल व सुरक्षा सामग्री आदि मुहैया कराएगी जिसका प्रथक से किसी भी तरह का भुगतान, अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा देय नही होगा।

(5)(8) एजेन्सी का कोई कर्मी किसी गैर कानूनी कार्यकलाप में लिप्त पाया जाता है व उनके द्वारा अभद्रता की जाती है तथा किसी भी प्रकार के नशे में पाया जाता है या मंडी बोर्ड या मंडी के अहित में कार्य करता हुआ पाया जाता है तो अनुबंधकर्ता संस्था के अधिकारी/सचिव को अधिकार रहेगा कि ऐसे कर्मी को तत्काल परिसर से हटा सकें एवं एजेन्सी को यह दयित्व होगा कि उपुक्त व्यक्ति से इनके स्थापन की तत्काल पूर्ति की जाए।

(5)(9) निविदाकार एजेंन्सी एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/कम्पनी अधिनियम में पंजीकृत कम्पनी हो सकती है परन्तु एजेन्सी के पास कम से कम 3**00** कर्मियों का वर्तमान में मान्य कान्ट्रेक्ट लेबर लायसेंस होना अनिवार्य है ।

(5)(10) निविदाकार को केन्द्र/राज्य शासन के विभाग/उपक्रम या निजी संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत एवं शेडयूल बैको आदि के व्यवस्था का न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव और वर्तमान में, एजेन्सी में कार्यरत/नियोजित कर्मियों की संख्या (एक संस्था या विभिन्न सस्थाओं में जोडकर) कम से कम 300 होना अनिवार्य है।

(5)(11) निविदा प्रस्तुत करने के साथ निविदाकार को प्रमाण सहित उन संस्थाओं की सत्यापित सूची लगाना होगी जहां वह कार्य कर रही है।

(5)(12) एजेन्सी, श्रम कानूनों का पालन के लिये स्वयं जवाबदार रहेगी एवं उसें आवश्यक पंजीयन, संबधित विभाग से प्राप्त कर, अनुबंध किये जाने के एक माह की अवधि में अनुबंधकर्ता संस्था के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5)(13) प्रचलित सुरक्षा कानून इस अनुबंध के तहत लागू रहेगे जिसके पालन करने की पूरी जिम्मेंदारी एजेन्सी की होगी।

(5)(14)(1) एजेन्सी के द्वारा तैनात गनमैन को जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर कुशल पारिश्रमिक दरे एवं सुरक्षागार्डो को समय समय पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित अकुशल पारिश्रमिक प्रतिमाह की दर से अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा भुगतान की जावेगी। सुरक्षा अधिकारी का वेतन सनिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित दर अनुसार भुगतान किया जावेगा।कम्प्यूटर टायपिस्ट कम डाटा एन्टो आपरेटर एवं इलेक्टिशियन कम सहायक लाईनमेन को जिला कलेक्टर द्वारा समय समय पर निर्धारित दर अनुसार भुगतान किया जावेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति भी अनुबंध अनुसार अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा की जायेगी। यदि कम भुगतान या समय पर भुगतान नही करने की शिकायत प्राप्त होती और प्रमाणित पाई जाती है, तब एजेन्सी का यह कृत्य अनुबंध का उल्लंघन मानतें हुई कार्यवाही की जावेंगी।

(5)(14)(2) एजेन्सी द्वारा कर्मी को प्रतिमाह देय राशि का भुगतान Minimum Wages Act. 1948 and Payment of Wages Act. 1936 में दिये गये प्रावधान अनुसार करना होगा।

(5)(14)(3) एजेन्सी, संबंधित अनुबंधकर्ता संस्था से कर्मियो की आवश्यकता की संख्या प्राप्त करेगी तदानुसार अनुबंधकर्ता संस्था में लगने वाले कर्मियों का बायोडाटा मय फोटो, **आधार कार्ड नम्बर** आदि के साथ निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण जानकारी सहित संबंधित अनुबंधकर्ता संस्था के अभिलेख में सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध करायेगी। अनुबंधकर्ता संस्था में बायोडाटा जमा कराये बगैर एजेन्सी के द्वारा कर्मी को ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेंगा।

(5)(14)(4) एजेन्सी में कार्यरत कर्मियो की, जिनकी एजेन्सी के द्वारा पदस्थी की जावेंगी, का पुलिस वेरीफिकेशन तथा स्वस्थता प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से प्राप्त कर, निविदा अनुबंध निष्पादन के अधिकतम दो माह के अंदर, अनुबंधकर्ता संस्था को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त की पूर्ति होने के पश्चात ही अनुबंधकर्ता संस्था के द्वारा एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा।

(5)(14)(5) वैधानिक भुगतान जैसे जी.एस.टी., ईपीएफ अंशदान तथा ईएसआई अंशदान, एजेंन्सी को स्वीकृत **''सेवा प्रभार''** के अतिरिक्त देय होगा जिनकी पूर्ति अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा की जायेगी। निविदा में **सेवा प्रभार (प्रतिशत में)** से आशय है इस प्रपत्र की कंडिका 4(1) में उल्लेख अनुसार है ।

(5)(14)(6) एजेन्सी अनुबंधकर्ता संस्था में पदस्थ अपने प्रत्येक कर्मी की प्रत्येक माह देय ई0पी0एफ0 की राशि निर्धारित कार्यालय में जमा कराकर चालान/रसीद की सुरक्षा कर्मियों के नाम सहित अपने लेटरपेड पर लिखकर, सील लगाकर हस्ताक्षर कर संबंधित अनुबंधकर्ता संस्था को प्रत्येक दो माह में उपलब्ध करायेगी। अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा उपरोक्त पूर्ति के उपरांत, मासिक पारिश्रमिक का भुगतान एजेन्सी को किया जावेगा।

(5)(14)(7) एजेंन्सी के द्वारा कर्मियों के वैधानिक भुगतान जैसे ईपीएफ, ईएसआई तथा जी.एस.टी. आदि संबंधित अधिनियमों के तहत सभी औपचारिकताओं एवं पूर्तियों के लियें एजेन्सी स्वंय पूर्णतः जिम्मेदार होगी।

(5)(14)(8) संबंधित निविदाकार एजेन्सी को विगत वर्ष 2019–20मेंकन्द्र/राज्य शासन के विभाग/उपक्रम या निजी संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत एवं शेडयूल बैको आदि में मानव संसाधन की नियोजित संख्या के संबंध में मय अभिलेखों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5)(15) प्रदाय/पदस्थ किये गये समस्त कर्मी, अनुबंधित एजेन्सी के नियंत्रण में रहेंगें।

(5)(16) एजेन्सी को निम्न तथा अन्य प्रचलित अधिनियमों का पालन करना होगाः–

[a] Minimum Wages Act 1948.

[b] Contributory P.F. And Misellaneous Provisions Act 1952

[c] Factories Act & M.P. Rules 1948.

[d] Contract labour [Regulation& Abolition Policies 1970].

[e] Payment of Wages Act 1936.

[f] Workman Compensatioon Act 1923 & any other Rules.

[g] Provision of GST

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रासंगिक सभी प्रकार के नियम लागू होंगे जो उपरोक्त के अलावा निविदा में वर्णित कार्य पर प्रत्यक्ष या प्ररोक्ष रूप में

लागू होते है।

(5)(17) अगर किसी प्रकरण में अनुबंधकर्ता संस्था उचित समझती है कि जांच आवश्यक हो या पुलिस थाना में रिपोर्ट करना आवश्यक हो तो एजेन्सी अनुबंधकर्ता संस्था के निर्देशों का पालन करेगी । अगर चालान अदालत में प्रस्तुत होता हो तो एजेन्सी को, जब तक कि उसका फैसला नहीं हो जाये, साक्ष्य आदि के लिये उपलब्ध रहना होगा ।

(5)(18) अनुबंधकर्ता संस्था के भवन एवं परिसर/प्रांगण का पूरा भाग जिसके लिए एजेन्सी को लगाया गया है के किसी भाग या क्षेत्र में कर्मी न लगाये जाने/न प्रदाय करने की स्थिति में एजेन्सी को देय भुगतान में से अनुपातिक रूप से उतनी राशि काटी जावेगी।

(5)(19) अनुबंध की अवधि में यदि प्रभावशील कानूनों के अन्तर्गत जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित देय राशि में वृद्धि की जाती है तो इस वृद्धि की गई राशि की सीमा तक अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा भुगतान किया जावेगा।

(5)(20) एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम के तहत स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर काटा जावेगा।

(5)(21) यदि अनुबंधकर्ता संस्था (मण्डी समिति) एवं एजेन्सी के मध्य अनुबंध के तहत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रकरण प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक, सोल आर्बीट्रेटर होंगें और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड एजेन्सी एवं अनुबंधकर्ता संस्था को मान्य तथा बंधनकारी होगी। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एवं कॉन्सिलिएशन एक्ट–1996 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(5)(22) सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार अनुबंधकर्ता संस्था के क्षेत्राधिकार के लिये सक्षम न्यायालय भोपाल होगा।

(5)(23) कार्य के दौरान यदि कर्मी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व सुरक्षा एजेन्सी का होगा।

(5)(24) निविदाकार को नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, उसकी एजेन्सी के विरूद्ध किसीकेन्द्र/राज्य शासन के विभाग/उपक्रम या निजी संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत एवं शेडयूल बैको आदि संस्था के द्वारा दायर आर्थिक प्रकरण में किसी तरह की दोषिता सिद्ध नही हुई है।

(5)(25) सशर्त प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं होगी।

(5)(26) निविदाकार को निविदा के साथ आयकर के भुगतान का वर्ष2018–19 का आयकर विभाग को प्रस्तुत रिटर्न की स्वंय सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(5)(27) निविदाकार को संलग्न **प्रपत्र –02** अनुसार निविदा विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(5)(28) एजेन्सी को भुगतान की गई राशियों का नियमानुसार लेखा संधारण करना होगा जिसे कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5)(29) एजेन्सी, द प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी एक्ट, 2005 तथा प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006 के अन्तर्गत वैद्य पंजीयन/ लायसेंस होना अनिवार्य है ।

(5)(30) प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य विपणन बोर्ड, कार्य की आवश्यकता अनुसार, सफल निविदाकार को **मण्डी बोर्ड/**प्रदेश में मंडियों की व्यवस्था का कार्य, इस निविदा के शर्तो के अधीन प्रदान करनें के लिये, प्राधिकृत होगा और निविदाकार के लिये यह आदेश बंधनकारी होगे।

(5)(31) एजेन्सी द्वारा अनुबंधकृर्ता संस्था को उपलब्ध किये गये कर्मी के संबंध में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि एजेन्सी के कर्मी का कोई रिश्तेदार/नातेदार, मंडी समिति के र्निवाचित सदस्य/नामांकित सदस्य का रिश्तेदार/नातेदार या मंडी समिति का अनुज्ञप्ति प्राप्त कृतकारी का रिश्तेदार/नातेदार या मंडी/मंडी बोर्ड में नियमित कर्मचारी रिश्तेदार/नातेदार, न हो। एजेन्सी को प्रत्येक कर्मी से इस बावत् घोषणा पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा। रिश्तेदार से तात्पर्य आयकर अधिनियम की धारा 56 में वर्णित रिश्तेदार की परिभाषा से है जिसमें निम्न सम्मिलित है :–

1. संबंधित का पति/की पत्नी
2. संबंधित का भाई या बहन
3. संबंधित के पति/की पत्नी का भाई या बहन
4. संबंधित के माता–पिता में से किसी का भाई या बहन
5. संबंधित का कोई पारम्परिक पूर्व पुरूष या वंशज
6. संबंधित के पति/की पत्नी का कोई पारम्परिक पूर्व पुरूष या वंशज

7. उपरोक्त 1 से 6 में वर्णित व्यक्ति का पति/की पत्नी

(5)(32) एजेन्सी को **मण्डी बोर्ड/**मंडी में पदस्थ किये गये सभी कर्मियों को अपने परिचय–पत्र (आई कार्ड) देना अनिवार्य होगा तथा परिचय पत्र की छायाप्रति अनुबंधकर्ता संस्था को 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना होगा तथा दैनिक उपस्थिति के लिये थंब इम्प्रेशन (Biometric) पद्वति का उपयोग किया जाना होगा, जिसकी व्यवस्था एजेन्सी द्वारा की जावेगी।

(5)(33) एजेन्सी के द्वारा अनुबंधकर्ता संस्था में पदस्थ सम्मस्त कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान KYC धारित Account में NEFT/RTGS/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही किया जावेगा एवं चैक/ड्राफ्ट से भुगतान उसी स्थिति में किया जावेगा जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में नही किया जावेगा।

(5)(34) प्रथम सफल निविदाकार का चयन होने के उपरांतअन्य निविदाकारों की सुरक्षा निधि राशि वापिस की जावेगी।

(5)(35) एजेन्सी अथवा उसके कर्मियों की लापरवाही के कारण अनुबंधकर्ता संस्था को या उसकी सम्पत्ति को कोई क्षति/हानि होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति एजेन्सी को करना होगी।

(5)(36) निविदाकार एजेन्सी के द्वारा कार्य आदेश प्राप्त होने पर या अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात, इस निविदा के अंतर्गत उन्हे दिये गये कार्य को, किसी भी स्थिति में अन्य संस्था/व्यक्ति को अंशतः या पूर्णतः हस्तांतरित नही किया जा सकता है ।

(5)(37) यदि मध्यप्रदेश के बाहर की एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होती है तो संबंधित एजेन्सी को अनुबंध निष्पादित करने की दिनांक से दो माह की अवधि में भोपाल, मध्यप्रदेश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलना अनिवार्य होगा।

(6). निविदा प्रकिया का कार्यकम : –

क्र.	गतिविधि	दिनांक और समय
1	निविदा विज्ञप्ति जारी करने की तिथि	**07.11.2020 समय 10:30**
2	प्री बिड की तिथि	**19.11.2020 समय 12:30**
3	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	**28.11.2020 समय 17:30**
4	तकनीको निविदा खोले जाने की तिथि	**01.12.2020 समय 12:30**

5	वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि	**02.12.2020 समय 12:30**

(6)(1) निविदा प्रपत्र तथा निविदा की शर्तें मंडी बोर्ड की वेबसाईट http://www.mpmandiboard.co.in एवं https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध हैं। निविदा प्रस्तुत करने के इच्छुक संस्थाएं निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तें वेबसाईट https://mptenders.gov.in से डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकती हैं। वेबसाईट https://mptenders.gov.in से डाउनलोड की गई निविदा के साथ निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) ऑनलाईन पोर्टल https://mptenders.gov.in पर जमा करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन निविदा प्रपत्र के मूल्य भुगतान के बगैर निविदाये अमान्य होगी एवं निविदाकार की तकनीकी/वित्तीय निविदा नही खोली जावेगी।

(6)(2) अमानत राशि रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) निविदाकार को ऑनलाईन पोर्टल https://mptenders.gov.in पर जमा करना होगा एवं इसकी रसीद की छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

(6)(3) निविदाकार को अपने संपूर्ण दस्तावेज, प्रतिभूति राशि, निविदा प्रपत्र की राशि ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी।

(6)(4) निविदा खोलने में सर्वप्रथम निविदाकार की धरोहर राशि का परीक्षण किया जावेगा एवं धरोहर राशि सही पाई जाने की स्थिति में तकनीकी निविदा ऑनलाईन खोली जावेगी। तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले निविदाकारों की वित्तीय निविदा ऑफर खोला जावेगा।

(7) **चयन प्रकिया** :–

(7)(1) तकनीकी मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग शीट :–

क	निविदाकारों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी।	मापदंड	अधिकतम अंक	निविदाकारों को प्राप्त अंक	कार्यालय उपयोग हेतु
1	विगत 05 वर्षो में किसी एक वर्ष में किसी एक संस्था में नियोजित कर्मियों की संख्या प्रमाण हेतु वर्ष में जमा कराये गये ई. पी.एफ. का प्रमाण पत्र	(अ) 300 से 500– 5 अंक (ब) 501 से 750– 10 अंक (स) 751 से 1000–15 अंक (द) 1000 से अधिक–20 अंक	20		
2	एजेन्सी द्वारा विगत वर्षो में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने का अनुभव (संस्थाओं द्वारा प्रदाय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति)	(अ) 3 से 5 वर्ष – 5 अंक (ब) 6 से 10 वर्ष – 10 अंक (स) 11 से 15 वर्ष –15 अंक (द) 15 वर्ष से अधिक–20 अंक	20		
3	विगत 05 वर्षो में सर्वाधिक राशि के 03 अनुबंधों की कुल राशि (सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति)	(अ) 30 करोड तक– 5 अंक (ब) 30 से 60 करोड तक–10 अंक (स) 60 से 90 करोड तक–15 अंक (द) 90 करोड से अधिक–20 अंक	20		
4	आई.एस.ओं. सर्टिफिकेशन (क) 9001 : 2015 एवं (ख) 45001 : 2018	(अ)आई.एस.ओं. सर्टिफिकेशन (क) एवं (ख) में स किसी एक के उपलब्ध होने पर –05 अंक (ब) आई.एस.ओं. सर्टिफिकेशन (क) एवं (ख) उपलब्ध होने पर – 10 अंक (स)आई.एस.ओं. सर्टिफिकेशन (क) एवं (ख) न होने की स्थिति में – 00 अंक	10		

5	एजेन्सी का विगत 03 वर्षो का वार्षिक टर्नओव्हर	(अ) 30 करोड तक– 5 अंक (ब) 30 से 50 करोड तक– 10 अंक (स) 50 से 75 करोड तक–15 अंक (द) 75 करोड से अधिक–20 अंक	20		
6	विगत 05 वर्षो में विभिन्न संस्थाओं में मानव संसाधन प्रदाय करने का अनुभव	(अ) 01 से 10 संस्थाओं में – 03 अंक (ब) 11 से 20 संस्थाओं में–05 अंक (स) 21 से 30 संस्थाओं में – 07 अंक (द) 30 से अधिक संस्थाओं में – 10 अंक	10		
		कुल अंक	100		

(7)(2) निविदाकार की तकनीकी व वित्तीय योग्यता का आंकलन निविदा में वर्णित मूल्यांकन शीट में दिये गये विभिन्न मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा। विभिन्न मापदण्डों के लिए अलग–अलग अंको का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार योग्य पाये गये निविदाकारों को प्राप्त अंको के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जावेगी। मेरिट के लिये न्यूनतम 60 अंक होगे। सर्वोच्च स्थान पाने वाली समान निविदाओं को मेरिट कमांक–1, उसके पश्चात समान अंक प्राप्त करने वाली निविदाओं को मेरिट कमांक–2 तथा आगे के कम उसके पश्चात समान अंक प्राप्त निविदाओं को मेरिट कमांक–3 आंवटित किया जावेगा।

उपरोक्त मेरिट कमांक–1, 2 तथा 3 की समस्त निविदायें तकनीकी रूप से मान्य की जावेगी व उनके वित्तीय ऑफर खोले जावेगे।वित्तीय ऑफर में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार का चयन किया जायेगा। समान दरें प्राप्त होने की स्थिति मे तकनीकी मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक वाले निविदाकार का चयन किया जावेगा। **यदि तकनीकी मूल्याकंन एवं वित्तीय ऑफर में समान अंक है तो ऐसे निविदाकार का चयन किया जावेगा जिसके द्वारा विगत 03 वर्षो में से किसी 01 वर्ष में सर्वाधिक संख्या में मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया हो। मानव संसाधन की संख्या का आकलन संस्था द्वारा विभिन्न संस्थाओं में पदस्थ किये गये कर्मियों का ई.पी.एफ. की राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य**

होगा।

(7)(3) वित्तिय प्रस्ताव में ''**सेवा प्रभार**'' प्रतिशत में अंकित किया जाना होगा एवं यदि अंको में और शब्दों में अलग–अलग अंकित किया जाना पाया जाता है तो निविदा स्वीकृति योग्य नही मानी जायेंगी।

(7)(4) निविदाकार की पांच (05 प्रतिशत) से कम ''**सर्विस प्रभार**'' की निविदा **अमान्य** होगी।

(7)(5) निविदाकार को निविदा के समस्त अभिलेख इन्डेक्स (मय पेजिंग) के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना इन्डेक्स (बिना पेजिंग) के निविदा मान्य नही की जावेगी।

(7)(6) प्रबंध संचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, को निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

7.7 BID SUBMISSION PROCESS

Procedure for Participation in e-Tendering

1. **Registration of Bidders on e-Tendering System:**

   All the bidders have to enrol their respective firms on the portal **https://www.mptenders.gov.in.** For more details may contact **support-eproc@nic.in**. Helpdesk phone numbers are available on website.

2. **Digital Certificate:**

   The bids submitted online should be signed electronically with a Class III Digital Certificate to establish the identity of the bidder submitting the bid online. The bidders may obtain Class III Digital Certificate issued by an approved Certifying Authority authorized by the Controller of Certifying Authorities, Government of India. A Class III Digital Certificate is issued upon receipt of mandatory identity proofs along with an application. Only upon the receipt of the required documents, a Digital Certificate can be issued. For details please visit **cca.gov.in**.

   Note:

   i. *It may take upto 7 working days for issuance of Class III Digital Certificate; hence the bidders are advised to obtain the certificate at the earliest. Those bidders who already have valid Class III Digital Certificate need not obtain another Digital Certificate for the same.*
   The bidders may obtain more information and the Application From required to be submitted for the issuance of Digital Certificate from ***cca.gov.in***

   ii. *Bids can be submitted till bid submission end date. Bidder will require digital signature while bid submission.*

   `The digital certificate issued to the Authorized User of a Partnership firm / Private Limited Company / Public Limited Company and used for online biding will be considered as equivalent to a no-objection certificate / power

of attorney to that user.

In case of Partnership firm, majority of the partners have to authorize a specific individual through Authority Letter signed by majority of the partners of the firm. In case of Private Limited Company, Public Limited Company, the Managing Director has to authorize a specific individual through Authority Letter. Unless the certificate is revoked, it will be assumed to represent adequate authority of the specific individual to bid on behalf of the organization for online bids as per information Technology Act 2000. This Authorized User will be required to obtain a Digital Certificate. The Digital Signature executed through the use of Digital Certificate of this Authorized User will be binding on the firm. It shall be the responsibility of Management / Partners of the concerned firm to inform the Certifying Authority, if the Authorized User changes, and apply for a fresh Digital Certificate for the new Authorized User.

3. Set Up of Bidder's Computer System:

In order for a bidder to operate on the e-tendering System, the Computer System of the bidder is required to be set up for Operating System, Internet Connectivity, Utilities, Fonts, etc. The details are available at https://www.mpeproc.gov.in

4. Key Dates(Bid Facts Sheet)

The bidders are strictly advised to follow the time schedule (Key Dates) of the bid on their side for tasks and responsibilities to participate in the bid, as all the stages of each bid are locked before the start time and date and after the end time and date for the relevant stage of the bid as set by the Department.P1

5. Preparation and Submission of Bids

The bidders have to prepare their bids online, encrypt their bid Data in the Bid forms and submit Bid of all the envelopes and documents related to the Bid required to be uploaded as per the time schedule mentioned in the key dates of the Notice inviting e-Tenders after signing of the same by the Digital Signature of their authorized representative.

6. **Purchase of Bid Document**

For purchasing of the bid document bidders have to pay Service Charge online ONLY which is Rs. [as per Bid FACT Sheet]. Cost of bid document is separately mentioned in the Detailed NIT. The Bid Document shall be available for purchase to concerned eligible bidders immediately after online release of the bids and upto scheduled time and date as set in the key dates.

The payment for the cost of bid document shall be made online through Debit/Credit card , Net banking or NEFT Challan through the payment gateway provided on the portal.

7 **Withdrawal, Substitution and Modification Of Bids**

Bidder can withdraw and modify the bid till Bid submission end date.

A. Preparation of Bid

1. The bidders have to prepare their bids online, encrypt their Bid Data in the Bid Forms and submit Bid Seals (Hashes) of all the envelopes and documents related to the Bid required to be uploaded as per the time schedule mentioned in the key dates of the Notice Inviting e-Tenders after signing of the same by the Digital Signature of their authorized representative.

2. DOCUMENTS COMPRISING THE BID

The bid submitted online by the bidder shall be in the following parts:

Part 1 – This shall be known as Online **Envelope A** and would apply for all bids Online **Envelop A** shall contain the following as per details given below:

a. Scanned copy of Earnest Money Receipts & Tender Fee Receipt
b. **All Relevant documents as per tender documents**

Part 2 – This shall be known as Online **Envelope B** and would apply to all bids. **Envelop B** shall contain financial offer (percentage service charges) in the prescribed format.

<u>घोषणा</u>

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते है कि हमे/मुझे म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की निर्धारित सभी शर्तें मंजूर है। तथा हमे/मुझे **मण्डी बोर्ड/**प्रदेश की मंडियो की व्यवस्था की पूर्ण जानकारी है । हम/मैं इस पर सहमति देता हूँ कि व्यवस्था के लिये लगाये गये कर्मियों को समय–समय पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर के आधार पर माह की प्रत्येक 07 तारीख पर भुगतान किया जावेगा। शासन के नियम/निर्देशा के तहत वैधानिक देय राशि कटोत्रे यथा ई0एस0आई0/ई0पी0एफ0 तथा जी.एस.टी. आदि की राशि निविदा की शर्तों के अनुसार अनुबंधकर्ता संस्था से प्राप्त कर संबंधित शासकीय कार्यालय में जमा करूँगा। जी.एस.टी, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 सभी प्रकार के लेवी/टैक्स जमा करन संबंधी अनुबंध अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो समस्त प्रकार की राशि जमा करने की जिम्मेदारी हमारी/मेरी रहेगी। लेवी/टैक्स की राशि जमा संबंधी विवाद में अनुबंधकर्ता संस्था उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदक के नाम/पद/हस्ताक्षर/सील

के साथ

आवेदक/एजेन्सी का नाम........................

पूरा पता..

....

....

दूरभाष/फैक्स क्र0...........................

<u>प्रपत्र –02</u>

निविदाकार की विवरणी

(1)	एजेन्सी / फर्म / संस्था का नाम	....
(2)	एजेन्सी / फर्म / संस्था का पूरा वर्तमान और स्थाई पता एवं लैड लाई फोन नं. / फैक्स नं. / मोबाइल नं .	....
(2.1)	एजेन्सी / फर्म / संस्था का मध्य प्रदेश में कार्यालय एवं शाखाओं का पूरा पता एवं लैड लाई फोन नं. / फैक्स नं. / मोबाइल नं .	....
(3)	एजेन्सी / फर्म / संस्था का प्रकार (पंजीकृत / पंजीकृत साझेदारी / एकल स्वामित्व)	.... (स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)
(4)	पंजीयन क. एवं दिनांक (श्रमायुक्त कार्यालय का)	.... (स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)
(5)	भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रं. एवं दिनांक	.... (स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)
(6)	ई.एस.आई. में पंजीयन का क्रं. एवं दिनांक	.... (स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)
(7)	जी.एस.टी विभाग का पंजीयन / दि.	.... (स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)

(8) एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओवर (करोडों में)

वर्ष 2016—17..

वर्ष 2017—18..

वर्ष 2018—19..

(चाटर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित साक्ष्य संलग्ल करें)

(9) विगत तीन वर्षो (2016—17, 2017—18 एवं 2018—19) में से किसी एक वर्ष में सर्वाधिक संख्या में मानव संसाधननियोजित कर्मचारियो की संख्या :

....

(ई.पी.एफ. राशि जमा करने संबंधी स्वंय सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)

(10) नवीन आयकर देय भुगतान प्रमाणपत्र (नं. एवं दिनांक)

(छाया प्रति संलग्न करें)

....

(11) यदि कोई आर्थिक प्रकरण में एजेन्सी / फर्म के विरूद्व दोषिता सिद्व हुई है। हां अथवा नहीं।

....

(यदि है तो अलग से विवरण देवें एवं शर्त कमॉक (5)(24) के अनुसार नोटराइज्ड शपथ पत्र संलग्न करे)

(12) मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के कार्य का अनुभव

.... (वर्षो में)

(साक्ष्य के साथ नोटराइज्ड शपथ पत्र संलग्न करे)

(13) एजेन्सी में वर्तमान में कार्यरत्

मानव संसाधन की कुल संख्या

....

(14) मुख्य कार्यपालक / निविदाकार (एजेन्सी / संस्था) के

नाम एवं पता मोबाईल एवं लैड लाईन फोन नं. के साथ ई—मेल पता

....

....

घोषणा

1. मेरे द्वारा घोषण की जाती है कि मैं निविदा की समस्त नियम–शर्तो से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नियमानुसार मेरे विरूद्ध कोई भी कार्यवाही की जा सकती है।

2. म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा योग्य एजेंसी के चयन संबंध में लिया गया निर्णय मुझे/हम इसे मानने के लिए पूर्णतः बाध्य होंगे।

3. मेरे/हमारे द्वारा दी गयी जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

4. मेरे/हमारे प्रत्येक कार्य अथवा संलग्न पत्रकों के विषय में कोई जांच की जाती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर

(निविदाकार/एजेन्सी के मुख्य कार्यपालक)

नाम ....

दिनांक / /2020

<u>नोट</u> :–इस प्रपत्र के साथ प्रत्येक बिन्दु में प्रेषित की जा रही जानकारी के साक्ष्य के रूप में सत्यापित/प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करने के साथ ही निविदा की शर्त कमॉक (5)(9), (5)(10), (5)(11), (5)(14)(8), (5)(24), (5)(26), (5)(27) एवं (5)(29) अनुसार जानकारी संलग्न की जाए तथा निविदा शर्त (5)(1) एवं (6)(1) के अनुसार राशियॉ अनिवार्यतः जमा की जाए।

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/3/4/स्वीकृति/19/पी–3/पार्ट–6/1053   भोपाल दिनांक 06/11/2020

:: निविदा विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश में स्थित 259 कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगणों के लिये समय–समय पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली प्रतिष्ठित एजेन्सी से निविदा प्रपत्र की शर्तो के अंर्तगत ऑनलाईन निविदा टेंडर आईडी 2020_MPSAM_113324 आमंत्रित की जाती है। इच्छुक एजेन्सी निविदा फार्म दिनांक 07.11.2020 प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 28.11.2020 तक अपरान्ह 05:30 बजे तक https://mptenders.gov.in से खरीद सकती है।

निविदा की शर्ते एवं नियम म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल में कार्यालयीन समय या वेबसाईट https://mptenders.gov.in एवं www.mpmandiboard.co.in पर देखे जा सकते है।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल